तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20/08/2025	प्रथावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 28/08/2025 को पेश हो।
28/8/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 29/8/25 को पेश हो।
29/8/25	पत्रावली पेश हुई। आदेश वादिया उपनवाद पत्र वादिया डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा० मि० है। पत्रावली फैसला शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)

न्यायालय सहायक कलक्टर,उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
वाद पत्र कमांकः– 95/2011

1. भगवानदेई पुत्री निनुआ पत्नि रामप्रसाद जाति जाटव निवासी उत्तू तहसील जिला आगरा उत्तर प्रदेश

.....वादिनी

बनाम

1. शान्तिदेवी बेवा दुलीचन्द जाति जाटव निवासी कुरका तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
2. सत्यदेव पुत्र दुलीचन्द
3. मीरादेवी पुत्री दुलीचन्द
4. राजोदेवी पुत्री दुलीचन्द
5. नीरज पुत्री दुलीचन्द सभी नाबालिगान बलायत व रफाकत कानूनी वली मा खुद प्रति0 संख्या 1 शान्तिदेवी जाति जाटव निवासी कुरका तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
6. गुलाब सिंह पुत्र निनुआ जाति जाटव निवासी कुरका तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
7. मानसिंह उर्फ भानसिंह उर्फ कप्तानसिंह पुत्र जीवनराम जाति जाटव निवासी कुरका तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास हाल उच्चैन।

.....प्रतिवादीगण

दावा अर्न्तगत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री दुलीचन्द शर्मा एडवोकेट

निर्णय

दिनांकः–29.08.2025

वादी ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,53,188 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम कुरका में स्थित आराजी खसरा नम्बर 902/5.18, 903/0.06, 2195मि.1/3.01 किता 3 कुल रकवा 9.05 बीघा के खातेदार काश्तकार निनुआ वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 6 के पिता व प्रति0 संख्या 1 के ससुर व प्रति0 संख्या 2 लगा0 5 व 7 के बाबा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्बत् 2039–2042 में थे। प्रति0 संख्या 7 के पिता और वादिनी के भाई जीवनराम का स्वर्गवास पिता निनुआ के जीवनकाल में ही हो चुका था तथा वादिनी की मा पतरी व भाई दुलीचन्द का देहान्त पिता निनुआ के देहान्त के बाद हुआ है उक्त विवादित आराजी निनुआ की मृत्यु उपरान्त हिन्दू उत्तराधिकारी अधि0 की धारा 8 के मुताबिक वादिनी एवं प्रति0 को विरासत में प्राप्त हुई है। निनुआ की मृत्यु उपरान्त उक्त विवादित आराजी का नामान्तरकरण हल्का पटवारी द्वारा बिना जांच किये दो पुत्र गुलाब सिंह व दुलीचन्द व तीसरे मृतक पुत्र जीवनसिंह के पुत्र मानसिंह

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

Scanned by CamScanner

उर्फ भानसिंह उर्फ कप्तानसिंह व बेबा पतरी के पक्ष में भर दिया गया जो ग्राम पंचायत कुरका द्वारा भी कोई जांच किये बिना दिनांक 10.02.83 को राजस्व कैम्प के दौरान तस्दीक कर दिया जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हो गया है। जबकि मृतक निनुआ को खातेदारी की आराजी का नामान्तरकरण संख्या 1004 हिन्दु उत्तराधिकारी अधि0 के अनुसार विरासत के आधार पर समस्त पुत्रों व पुत्री के हक में बहिस्सा बराबर ग्राम पंचायत कुरका को तस्दीक करना चाहिए था उक्त नामान्तकरण संख्या 1004 वादिनी के बैक में तस्दीक होने से खिलाफ कानून एवं खिलाफ रिकार्ड एवं इल्लीगल क्षेत्राधिकार से परे होने से बहक वादिनी शुन्य एवं बेअसर है। वादिनी की मां पतरी की फौती की विरासत का दा0खा0 वादिनी के नाम दर्ज किया जा चुका है। मृतक निनुआ की खातेदारी की आराजी जिसका नामान्तरकरण सं0 1004 बाद मृत्यू दर्ज किया गया है पर वादिनी हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के अनुसार विरासत के आधार पर 1/4 हिस्सा पर अपने आपको खातेदार घोषित करा पाने की अधिकारी है। वादिनी को नामान्तरकरण सं0 1004 का कतई इल्म नहीं था। वादिनी को यही विश्वास था कि निनुआ की मृत्यु के बाद दा0खा0 में नाम आ गया होगा। वादिनी दिनांक 13.07.2011 को पटवारी हल्का के पास के.सी.सी. लोन हेतु राजस्व रिकार्ड जमाबंदी की नकल लेने गई तो इन्द्राजों का पता चला कि मृतक निनुआ की मृत्यु वाद भाईयों के ही नाम इन्द्राज है बहिन के नाम नहीं है। इस पर वादिनी द्वारा इन्द्राजों को दुरस्त कराने हेतु प्रतिवादीगण से निवेदन किया तो प्रतिवादीगण के द्वारा साफ इन्कार कर दिया और विवादित आराजी को अन्य दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल करने की धमकी दी एवं वादिनी को उसके हिस्से से बेदखल करने की धमकी दी। इसी वजह वादिनी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी जारी करा पाने की मुश्तहैक है। विवादित आराजी में वादिनी को मृतक निनुआ की आराजी पर हिन्दु उत्तराधिकार अधि0 के तहत विरासत के आधार पर 1/4 हिस्सा की खातेदार काश्तकार घोषित की जाकर हिस्सानुसार बाई मीटस एण्ड वाउन्ड विभाजन किया जाकर अलग–अलग कुरेजात कायम कर व लगान कायम कर कुरेजात का राजस्व रिकार्ड में अमल कराया जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 17.01.2012 को प्रतिवादी संख्या 6 व 7 ने इकबाल जबाव दावा पेश किया। दिनांक 17.01.2012 को प्रतिवादी संख्या 1 बाबजूद रजिस्टर तामील हाजिर नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। दिनांक 29.05.2012 को प्रति0 संख्या 1 लगा0 5 की ओर से श्री जयनारायण व्यास एडवोकेट उपस्थित आये एवं प्रति0 संख्या 1 के विरूद्ध अमल में लाई गई एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया प्रार्थना पत्र 200 रूपये की कॉस्ट पर स्वीकार किया जाकर एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त किया गया। दिनांक 04.07.2012 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से जबाव दावा पेश कर निवेदन किया कि वादिनी के पिता की मृत्यु दिनांक 10.02.1983 से पूर्व हुई है उनकी मृत्यु के पूर्व ही प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 5 का पति व पिता दुलीचन्द प्रतिवादी सं0 6 व 7 ही उक्त घर को सम्भालने वाले थे और उक्त दुलीचन्द, गुलाबसिंह व कप्तानसिंह ही सहदायिकी सम्पत्ति में पिता निनुआ के समय से ही कब्जा काश्त खातेदार हो गये थे। वादिनी उक्त विवादित आराजी में किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा व वर्तमान में भी

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

Scanned by CamScanner

वादिनी की कोई कब्जा काश्त नहीं है। दिनांक 10.02.1987 से लेकर आज तक वादिनी ने हिस्सा लेने की नहीं बोली परन्तु अब पता नहीं क्यों वादिनी के दिल में वदयान्ती आ गई है व प्रतिवादीगण के विरूद्ध अपना हिस्सा क्लेम करने हेतु 29 वर्ष वाद अपना दावा कर दिया है जो कि अवैधानिक है। इतने दिनों बाद वादिनी का कोई हक उक्त भूमी में नहीं है। मां पतरी के हिस्से में आई आराजी में से वादिनी को 1/4 हिस्सा प्राप्त हुआ है जो सहदायिकी सम्पत्ति के मुताबिक सही है व कुल आराजी में से 1/16 भाग वादिनी प्राप्त करने की अधिकारी थी जिसको भी वादिनी ने रिलीजडीड प्रति0 सं0 6 व 7 के नाम करा दिया है। उक्त विवादित आराजी पर वादिनी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रही है एवं उक्त आराजी सहदायिकी सम्पत्ति के आधार पर प्रति0 सं0 1 लगा0 5 के पिता व पति व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 की कब्जा काश्त रही है। दावा वादिनी काबिल खारिजी है। दावा एवं जबाव दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आया वाद के बिन्दु संख्या 2 में वर्णित विवादित आराजी ग्राम कुरका वादिनी व प्रतिवादीगण के पूर्वज निनुआ की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी थी।.......वादिनी
2. आया हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत वादिनी विवादित आराजी में 1/4 भाग में खातेदार घोषित की जाने की अधिकारी है। ....वादिनी
3. आया वादिनी विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कराने की अधिकारी है। ....वादिनी
4. आया वादिनी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधज्ञा से पाबन्द कराने की अधिकारी है। ....वादिनी
5. सहदायिकी सम्पत्ति होने के कारण दिनांक 10.02.1983 को नामान्तरकरण दर्ज होते समय वादिनी का विवादित आराजी पर कोई अधिकार नहीं था। ....प्रति0 1लगा0 5
6. आया वादिनी ने आज तक उक्त नामान्तरकरण को निरस्त करवाने हेतु कोई कार्यवाही की है, अतः वादिनी के विवादित आराजी में अधिकार समाप्त हो चुके है। ....प्रति0 1लगा0 5
7. आया वादिया के हिस्से तक वाद को डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। ....प्रति0 6 व 7
8. अनुतोष।

अभिभाषक वादी की तनकीबाईज बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली एवं पत्रावलि पर उपलब्ध दस्ताबेजों का अवलोकन किया गया प्रकरण के समुचित विवेचन के आधार पर तनकियों का निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है–

तनकी नम्बर 1:– इस तनकी साबित करने का भार वादिया के ऊपर है। अभिभाषक वादिया ने निवेदन किया कि वादपत्र की मद संख्या 2 में वर्णित आराजी वादिया के पिता निनुआ की छोडी हुई आराजी है जिसमें वादिया को हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विवादित आराजी में हक प्राप्त हो जाते है क्योंकि वादिया मृतक निनुआ की जायज वारिस है। वादिया की मा पतरी की मृत्यु के पश्चात उसके हिस्से की आराजी से वादिया को 1/4 हिस्सा मिला है। इसी प्रकार वादिया को मृतक निनुआ की सम्पत्ति में से भी 1/4 हिस्सा दिया जाये। प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के द्वारा जबाव पेश किया गया है एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 5

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई है। वादिया के द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया है।

मेरे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादिया की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के साथ पेश प्रमाणित प्रतिलिपी नामान्तकरण पंजिका ग्राम कुरका कमांक 1004 दिनांक 10.02.1983 एवं जमाबंदी सम्बत् 2062–2065 का अवलोकन किया गया। उक्त दस्ताबेजात के अवलोकन के स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के पति एवं प्रति0 संख्या 2 लगा0 5 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 6 व 7 को जरिये विरासतन निनुआ से प्राप्त हुई है। यह तनकी वादिया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 2:– इस तनकी साबित करने का भार वादिया के ऊपर है। पत्रावली की मद संख्या 2 एवं शपथ पत्र PW-1, PW-2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिया मृतक निनुआ की संतान है ऐसी स्थिति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत उक्त विवादित आराजी में वादिया के हक निहित होते है। अतः उक्त तनकी भी वादिया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 3:– अभिभाषक वादी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी के तहत पेश कर धारा 53 आरटीए को डिलीट करते हुये उक्त वाद पत्र में डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर धारा 53 आरटीए को उक्त वाद पत्र से डिलीट किया गया। चुकिं प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया गया है ऐसी स्थिति में तनकी नम्बर 3 उक्त वादपत्र में प्रभावी नहीं है।

तनकी नम्बर 4:– इस तनकी को साबित करने का भार वादिया के ऊपर है। चुकिं वादिया द्वारा उक्त वाद पत्र में विवाभजन की दादरसी को जरिये प्रार्थना पत्र डिलीट कराया है ऐसी स्थिति में सहखातेदारान को जरिये स्थाई निषेधज्ञा पावंद किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। अतः उक्त तनकी वादिया के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 5,6,7:– तनकी नम्बर 1 व 2 के अनुसरण में उक्त तनकीयात प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 5 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

समस्त तनकीयात का निर्णय कर दिया गया है। वादपत्र वादिया डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है:–

वाद पत्र वादीगण डिक्री किया जाता है। वादिया को विवादित आराजी खसरा नम्बर 902/5.18, 903/0.06, 2195मि.1/3.01 किता 3 कुल रकवा 9.05 बीघा (मुताबिक जमाबंदी सम्बत् 2062–2065) में 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 29.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Bharti

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर

Scanned by CamScanner

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Gode, Appendix D-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम उच्चैन, भरतपुर

व इजलास सुश्री भारती गुप्ता (R.A.S.)

भगवानदेई बनाम शान्तिदेवी वगैरह

दावा बाबत् धारा 88, 89, 188 RTA

मुकदमा नं. ~~88/2024~~ 95/2011 सन् 95/2011

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालं कतई रू–ब–रू हमारे

व हाजरी श्री दुलीचंद शर्मा एडवो. मिनजानिब ...

... मिनजानिब मुददायुलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाता है कि वाद पत्र वादिया डिक्री किया जाता है। वादिया को विवादित आराजी खसरा नं. 902/5.18, 903/0.06, 2195 मि.1/3.01 किता 3 कुल रकबा 9.05 बीघा (मुताबिक जमाबंदी संवत 2062–2065) के 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

आज ... मुबलिग ... बाबत् ...

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयावी तक ... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29 माह 08 वर्ष 2025

को जारी की गई।

दस्तखत Shanti [signature] सहायक कलक्टर उच्चैन (भर...)

ओहदा ...

मुहर

मुद्दई		रुपया	पैसे	मुद्दालय		रुपये	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा	....			स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अरजी	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील	)पर........		
महनताना वकील	)पर........			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बावत इजराय हुक्मनामा	....		
बावत इजराय हुक्मनामा	....						
मुतफरिक	....			मीजान	....		
मीजान	....						

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर,उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
वाद पत्र कमांकः– 88/2024

1. भगवानदेई पुत्री निनुआ पत्नि रामप्रसाद जाति जाटव निवासी उत्तू तहसील जिला आगरा उत्तर प्रदेश .....वादिनी

बनाम

1. शान्तिदेवी बेवा दुलीचन्द जाति जाटव निवासी कुरका तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
2. सत्यदेव पुत्र दुलीचन्द
3. मीरादेवी पुत्री दुलीचन्द
4. राजोदेवी पुत्री दुलीचन्द
5. नीरज पुत्री दुलीचन्द सभी नाबालिगान बलायत व रफाकत कानूनी वली मा खुद प्रति0 संख्या 1 शान्तिदेवी जाति जाटव निवासी कुरका तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
6. गुलाब सिंह पुत्र निनुआ जाति जाटव निवासी कुरका तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
7. मानसिंह उर्फ भानसिंह उर्फ कप्तानसिंह पुत्र जीवनराम जाति जाटव निवासी कुरका तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास हाल उच्चैन।

.....प्रतिवादीगण

दावा अर्न्तगत धारा 88,89,53,188 आर.टी.ए.

Bharti
सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

Scanned by CamScanner